

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

175

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, दरभंगा।  
श्रम अधीक्षक, नवादा/पूर्णियाँ-01 ।

पटना, दिनांक:-

20.3.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त ₹ 3000/-प्रति बाल श्रमिक की दर से कुल 41 बाल श्रमिकों हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 2300/- राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	दवा भण्डार इकाई (21 02) विमुक्त के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	आहार/पथ्य (21 03) विमुक्त के समय भोजन /नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त, दरभंगा।	10	28000	1000	1000	30000	श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-181 दि.-23.02.2017 के आलोक में विमुक्त 10 बाल श्रमिकों के लिए।
2	श्रम अधीक्षक, नवादा	11	30800	1100	1100	33000	श्रम अधीक्षक, नवादा के पत्रांक-127 दि.-28.02.2017 के आलोक विमुक्त 11 बाल श्रमिकों के लिए।
3	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल	20	56000	2000	2000	60000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-149 दि.-04.03.2017 के आलोक में विमुक्त 20 बाल श्रमिकों के लिए।
	कुल योग	41	114800	4100	4100	123000	


कुल आवंटित राशि ₹ 123000 ( ₹ एक लाख तेईस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी हो ।


2

5. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा दी जाय ।
6. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।


ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 175 पटना, दिनांक 20-3-17  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।


\*स्पीड  
पोस्ट

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 175 पटना, दिनांक 20-3-17  
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /\*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-78 (श्रम पक्ष) दि.-16.3.17 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 175 पटना, दिनांक 20-3-17  
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।